पत्रांक संख्या–113/XVIII(II)/2010

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार ,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 12 अक्टूबर, 2010

विषयः–ग्राम जसपुर खुर्द, तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर में श्रम न्यायालय, काशीपुर के भवन एवं कार्यालय के निर्माण हेतु कुल 0.131 है0 भूमि श्रम विभाग, उत्तराखण्ड को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–643/सात–स0भू0अ0–2009, दिनांक–28.12.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम जसपुर खुर्द, तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर में श्रम न्यायालय, काशीपुर के भवन एवं कार्यालय के निर्माण हेतु कुल 0.131 है0 भूमि, जिसमें से खसरा सं0 44 के अन्तर्गत 0.073 है0 भूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के नाम दर्ज है एवं खसरा सं0–53 मि0 के अन्तर्गत 0.058 है0 भूमि कचहरी एस.डी.ओ. माल विभाग के नाम दर्ज है को जिलाधिकारी उधमसिंहनगर की संस्तुति, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किए गए अनुरोध एवं वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों के अन्तर्गत, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– सिंचाई विभाग से संबंधित भूमि हेतु सिंचाई विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव।

पृ0प0संख्या–113 /समदिनांकित/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
5– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।